प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर..........वर्ष 2023....................
2. प्र.इ.रि.सं.......8 / 2023.............. दिनांक.......................10/01/2023

   (I) * अधिनियम धाराएं – 7 भ्रष्टाचार निवारण अधनियम 1988 (यथा संशोधन 2018).....

   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – ....–...

   (III) * अधिनियम...............................–.............................. धाराएं.......................–........................

   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....200....................समय..........6:40pm

   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– सोमवार, दिनांक 09.01.2023 वक्त 02.01 पीएम..........

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 08.01.2023 ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–

   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी– पश्चिम, करीब 5 किलोमीटर,

   (ब) पता – पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर।

   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................

   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–................................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम – श्री अक्षय

   (ब) पिता/पति का नाम – श्री ओमप्रकाश चौधरी

   (स) जन्म तिथि/आयु – 23 वर्ष

   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....

   (र) पेशा – यू–टयूबर

   (ल) पता – निवासी शीतला गेट के बाहर, सती माता के मंदिर के पास, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

   1. बुधराम पुत्र श्री धनराज, जाति बिश्नोई, उम्र 33 वर्ष, निवासी गौडू, तहसील बज्जू, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर हाल कानिस्टेबल नंबर 1113, पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई विलम्ब नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–...
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 08.01.2023 को वक्त 02.15 पी.एम. पर परिवादी श्री अक्षय पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति जाट, उम्र 23 वर्ष, निवासी शीतला गेट के बाहर, सती माता के मंदिर के पास, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर ने एक टाईपशुदा परिवाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के नाम का मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर निवेदन किया कि "सेवा में, श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक जी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर, विषय : पुलिस थाना नयाशहर के सीआई के रीडर श्री बुधराम बिश्नोई कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप करवाने बाबत। महोदय, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं बीकानेर में शीतला गेट के पास का रहने वाला हूं व YouTuber हूं। मेरे खिलाफ पुलिस थाना कोटगेट में एनडीपीएस मामले का मुकदमा नंबर 305/2022 दर्ज हुआ था जिसकी जांच नयाशहर में थाने में चल रही है। मैं इस मुकदमे में दिनांक 28.10.2022 को गिरफतार होकर लगभग 20 दिन बाद जमानत पर बाहर आ गया था। उसमें धारा 29 का मुल्जिम प्रदीप बिश्नोई निवासी आदमपुर मंडी जिला हिसार हरियाणा था। पुलिस थाना नयाशहर ने 3 दिन पहले ही प्रदीप बिश्नोई को आदमपुर मंडी से इस मामले में गिरफतार कर लिया था और अभी वह नयाशहर थाने की पुलिस कस्टडी में है। मुझे नयाशहर थाने के सीआई का रीडर श्री

बुधराम बिश्नोई ने कल दिनांक 07.01.2023 को शाम को साधारण कॉल व व्हाट्सऐप कॉल करके नयाशहर थाने में बुलाया था और मुझसे कहा कि प्रदीप बिश्नोई के भाई रविंद्र का नाम भी मुकदमे में आ रहा है इसलिए 50000 रुपये आप दे दो, मैं मुकदमे में नाम नहीं आने दूंगा। प्रदीप मेरा अच्छा दोस्त है लेकिन मैंने बुधराम कानिस्टेबल को मेरे पास रुपये होने से मना कर दिया तो बुधराम कांस्टेबल ने मुझे थाने पर बुलाकर भी यही बात बोली और आज दिनांक 08.01.2023 को दिन में लगभग 12:00 बजे बुधराम कानिस्टेबल ने मेरे व्हाट्सऐप नंबर 6377646451 से प्रदीप बिश्नोई के पापा के व्हाट्सऐप नंबर 9671682015 पर तथा प्रदीप बिश्नोई के भाई रविंद्र के व्हाट्सऐप नंबर 9053353265 पर वार्ता करके रविंद्र बिश्नोई का नाम मुकदमे में नहीं आने देने के बदले में 50000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। इसमें कुछ कॉल की मैंने रिकॉर्डिंग मेरे फोन में कर ली थी। मेरा मित्र प्रदीप बिश्नोई अभी पुलिस कस्टडी में है तथा उसका भाई रविंद्र बिश्नोई हिसार में है जो कि बुधराम कानिस्टेबल को किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहते हैं और बुधराम कानिस्टेबल को मेरे माध्यम से रिश्वत लेते हुए ट्रैप करवाना चाहते हैं। मैं भी बुधराम कानिस्टेबल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप करवाना चाहता हूं। बुधराम कानिस्टेबल वर्तमान में नयाशहर थाने के सीआई का रीडर का काम करता है। इसलिए बुधराम कानिस्टेबल के खिलाफ कानूनी कायवाही करने की कृपा करें। दिनांक 08.01.2023 प्रार्थी एसडी अक्षय, अक्षय पुत्र ओमप्रकाश चौधरी निवासी शीतला गेट के बाहर, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर, 6377646451

परिवादी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाया गया तो परिवादी ने रिपोर्ट के समस्त तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा परिवादी ने बताया कि रिपोर्ट मेरे द्वारा विश्वसनीय स्थान से टाईप करवाई गई है तथा इस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। परिवादी ने बताया कि यह पूरा रिश्वत मांगने का मामला मेरे व मेरे मित्र श्री प्रदीप बिश्नोई से संबंधित पुलिस थाना कोटगेट में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण संख्या 305/2022 से संबंधित है। जिसकी जांच वर्तमान में पुलिस थाना नयाशहर में चल रही है। नयाशहर थाने के सीआई के रीडर बुधराम कानिस्टेबल ने मुझे आज दिनांक 08.01.2023 को दोपहर में 12 बजे कहा था कि जैसे ही आपके पास रविंद्र बिश्नोई के 50000 रुपये आ जाएं तो आप मुझे थाने में लाकर दे देना। मैंने बुधराम कानिस्टेबल को बताया था कि मेरे खाते में रुपये आते ही मैं लाकर दे दूंगा। रविंद्र बिश्नोई व प्रदीप बिश्नोई ने बुधराम कानिस्टेबल के विरुद्ध एसीबी की ट्रेप कार्यवाही के लिए मुझे नियुक्त किया है जिसके लिए मैं बाद में आपको उचित दस्तावेज/अधिकार पत्र प्रस्तुत कर दूंगा। मेरा मित्र प्रदीप बिश्नोई पुलिस कस्टडी में होने के कारण व रविंद्र के हरियाणा में होने के कारण वे लोग कार्यवाही करवाने में सक्षम नहीं हैं। मैं बीकानेर का ही रहने वाला हूं तथा मेरे प्रदीप के परिवार से अच्छे संबंध हैं तथा बुधराम कानिस्टेबल ने सारी बात भी मेरे व्हाट्सऐप नंबर 6370646451 से ही की है, यह नंबर मेरे भाई के नाम से है। मेरा फोन थाने में जब्त हो गया था, तब से यह नंबर मैं ही उपयोग में ले रहा हूं तथा रिश्वत के 50000 रुपये भी इसी नंबर पर फोनपे करवाने की बात बुधराम कानिस्टेबल ने की है। बुधराम कानिस्टेबल ने मुझे यह भी कहा है कि अभी तक मैंने प्रदीप को कुछ नहीं किया है लेकिन 50000 रुपये नहीं आने पर मैं प्रदीप को टॉर्चर करुंगा। मेरा, प्रदीप या रविंद्र का पुलिस थाना नयाशहर थाने के रीडर बुधराम कानिस्टेबल से किसी प्रकार का उधारी का लेनदेन भी नहीं है, न ही कोई शत्रुता है। मैं इस मामले में किसी प्रकार की रिश्वत नहीं देना चाहता हूं।

परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के लिए परिवादी श्री अक्षय व श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से श्री मनोहरलाल को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात मेरे निर्देश पर उक्त कानिस्टेबल ने मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी व उक्त कानिस्टेबल को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया तथा वक्त 03.15 पी.एम. पर मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के ब्यूरो कार्यालय से पुलिस थाना नयाशहर के लिए रवाना किया गया, जो उक्त दोनों वक्त 05.30 पी.एम. पर उपस्थित हुए तथा श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया, जिसे सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैंने नयाशहर थाने में पहुंचकर आरोपी बुधराम कानिस्टेबल से मिलकर श्री प्रदीप के साथ मारपीट नहीं करने आदि की वार्ता की तथा 10,000/–रूपये एक डेढ घंटे में देने की बात कही है, जिस पर आरोपी द्वारा सिर हिलाकर सहमति दी है। तत्पश्चात मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को डीवीआर कार्यालय कम्प्यूटर में कनैक्ट कर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में निरन्तरता की कमी व काफी वार्ता अस्पष्ट व लगातार अनावश्यक आवाजें आनी पाई गई, परन्तु परिवादी द्वारा आरोपी बुधराम कानिस्टेबल से रूपयों के संबंध में वार्ता की जानी पाई गई, वार्ता के आधार पर रिश्वत मांग सत्यापन कमजोर प्रतीत होना पाया गया। परिवादी ने वार्ता में अस्पष्ट वार्ता के संबंध में बताया कि मैंने डीवीआर को मेरे पहनी हुई मोटी जैकेट में डाला हुआ था तथा मेरी अत्यधिक लगातार पैरों को हिलाने की आदत है, जिस कारण रिकॉर्डिंग में अनावश्यक आवाजें आ रही हैं तथा आवाज भी कम आ रही है। परिवादी ने बताया कि अभी मैं पुनः बुधराम कानिस्टेबल से मिलकर उसे 5000/– रूपये रिश्वत देकर रिश्वत मांग का स्पष्ट सत्यापन करवा सकता हूं। इस बार मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बुधराम कानिस्टेबल मुझ पर शक कर सकता है। इस पर

वक्त 07.30 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल को डीवीआर स्थापित मैमोरी कार्ड सहित देकर परिवादी श्री अक्षय के साथ पुलिस थाना नयाशहर के लिए रवाना किया गया। उक्त मनोहरलाल कानिस्टेबल ने मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिए दूरभाष बताया कि परिवादी अक्षय को आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु भेजा गया, जो वार्ता कर वापस आया है। उक्त कानिस्टेबल ने परिवादी से मुझ पुलिस निरीक्षक की बात करवाने पर परिवादी ने बताया कि आरोपी बुधराम कानिस्टेबल को मैंने पहले की वार्ता के क्रम में 5000/–रूपये दिये थे, जो कि उन्होंने असंतुष्ट होते हुए रख लिये। उसके बाद बुधराम कानिस्टेबल ने मेरे मित्र प्रदीप को हवालात से निकालकर अपने कमरे में लाकर बात की थी, इस दौरान प्रदीप ने पुलिस कार्यवाही के भय से पूरे 50,000/– रूपये बुधराम कानिस्टेबल को लाकर देने की बात मुझे कही है और रूपयों के इंतजाम के लिए मेरे पास पड़ी उसकी सोने की चैन गिरवी रख देने की भी बात कही है। अब कल दिनांक 09.01.2023 को सुबह 11.00 बजे तक मुझे बुधराम ने शेष 45,000/–रूपये की रिश्वत राशि सहित थाने में बुलाया है। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को ब्यूरो चौकी पर ट्रांसकिप्ट कार्यवाही की आवश्यकता हेतु उपस्थिति के बारे में कहा गया तो परिवादी अक्षय ने बताया कि मैं अब जरूरी काम से घर जाना चाहता हूं, ब्यूरो कार्यालय पर नहीं आ सकता हूं, कल दिनांक 09.01.2023 को सुबह जल्दी कार्यालय में उपस्थित हो सकता हूं। तत्पश्चात श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल मय डीवीआर ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ तथा मुझे बताया कि परिवादी ने घर पर जरूरी काम का हवाला देकर सत्यापन वार्ता के पश्चात आपसे बात करके सीधे ही घर निकल गया था। मुझ पुलिस निरीक्षक ने मनोहरलाल कानिस्टेबल से डीवीआर लेकर सुरक्षित रखा तथा डीवीआर को सुना गया तो वार्ता की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड होना पाई गई, जिसे सुना जाने पर परिवादी के बताये अनुसार तथ्यों की पुष्टि होना पाई गई। परिवादी अक्षय के निर्देश पर पुलिस कस्टडी में स्थित प्रदीप कुमार के भाई रविन्द्र निवासी हरियाणा के वाटसएप नंबर 9053353265 से मुझ पुलिस निरीक्षक के वाटसएप नंबर पर अधिकार पत्र, पहचान पत्र, फोटो इत्यादि प्रेषित किये गये, जिसके अनुसार श्री रविन्द्र कुमार ने परिवादी श्री अक्षय के माध्यम से बुधराम कानिस्टेबल के विरूद्ध एसीबी कार्यवाही करवाने हेतु अक्षय को अधिकृत किया गया। अधिकार पत्र इत्यादि का कार्यालय कम्प्यूटर के माध्यम से प्रिंट लिया जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

दिनांक 09.01.2023 वक्त 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री अक्षय चौधरी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुआ, जिसने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि मुझे घर पर काफी जरूरी काम थे, इसलिए मैं इस समय तक उपस्थित हो पाया हूं। परिवादी श्री अक्षय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को फोन पर बताई गई पूर्व की बातों को दोहराया व रिश्वत मांग संबंधित ऑडियो को परिवादी के समक्ष सुना गया। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक बताया कि आरोपी बुधराम कानिस्टेबल के वाटसएप नंबर 9413136631 से मेरे वाटसएप नंबर 6377646451 पर कॉल आया था, जिसे मैं अटैंड नहीं कर पाया, इस पर वक्त 11.28 एएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी के उक्त वाटसएप नंबर से आरोपी बुधराम के उक्त वाटसएप नंबर पर कॉल लगवाया जाकर होने वाली वार्ता को डीवीआर में स्थापित मैमोरी कार्ड में कॉल रिकॉर्ड किया गया। आरोपी बुधराम द्वारा परिवादी को आने की बात पूछते हुए प्रदीप से बात करवाई, जिस पर प्रदीप ने भी जल्दी आने की बात अक्षय को कही। परिवादी अक्षय ने विश्वास दिलवाने के लिए सुनार के पास होने की बात कही। वक्त 11.31 ए.एम. पर पुनः परिवादी अक्षय व आरोपी बुधराम के उक्त वाटसएप नंबरों पर कॉल हुई, जिसे ब्यूरो के डीवीआर में पुनः रिकॉर्ड किया गया। आरोपी द्वारा पुनः प्रदीप से बात करवाई तो प्रदीप ने कहा ये चाहे मुझे दो घंटे में पेश करें चाहे जेल में डाल दें 50,000/–रूपये इनको देने ही हैं, इस पर परिवादी ने कहा कि मैं बिना रूपयों के कैसे आऊ, तो प्रदीप ने परिवादी को कहा कि तूं चैन लेकर आ जा इत्यादि वार्ता हुई। परिवादी ने बताया कि मेरे पास आरोपी से संबंधित वाटसएप कॉल संबंधित कुछ सबूत हैं, जो कि मैं बाद में पेश कर दूंगा। मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को उक्त वाटसएप कॉल तथा आरोपी से हुई उक्त वाटसएप कॉल संबंधित साक्ष्यों को अपने पास सुरक्षित रखने व बाद में पेश करने के निर्देश दिये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं तथा वाटसएप कॉल आदि के आधार पर आरोपी बुधराम कानिस्टेबल द्वारा परिवादी श्री अक्षय से व आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौजूद प्रदीप से कुल 50,000/–रूपये की रिश्वत मांग की जाकर 5000/–रूपये रिश्वत राशि दिनांक 08.01.2023 को वक्त सत्यापन प्राप्त किया जाना पाया गया तथा वार्ता के अनुसार शेष 45,000/–रूपये रिश्वत राशि आज दिनांक 09.01.2023 को प्राप्त करने पर स्पष्ट सहमति है तथा बार बार रिश्वत प्राप्ति के लिए कॉल की जा रही है। परिवादी को ट्रेप कार्यवाही हेतु 45,000/–रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये तथा गवाहान को मौखिक रूप से तलब किया गया। ट्रांसकिप्ट हेतु पर्याप्त समय नहीं होने के कारण ट्रांसकिप्ट कार्यवाही आईन्दा किया जाना तय किया। परिवादी ने बताया कि मैंने ट्रेप कार्यवाही हेतु काफी कोशिश करके 30,000/–रूपये की व्यवस्था कर ली है, पूरे 45,000/–रूपये की व्यवस्था नहीं हुई है, मैं अभी 30,000/–रूपये आरोपी को दूंगा तो वह इतनी रिश्वत में ही संतुष्ट हो जायेगा। वक्त 01.05 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री दिलीप तेजी व श्री सुभाष चन्द्र तेजी कार्यालय नगर निगम बीकानेर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए, जिन्होंने कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति व्यक्त की तथा उक्त

दोनों गवाहान का परिवादी श्री अक्षय से परिचय करवाया जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों की जानकारी प्रदान की गई।

वक्त 01.15 पी.एम. पर परिवादी श्री अक्षय पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति जाट, उम्र 23 वर्ष, निवासी शीतला गेट के बाहर, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर ने मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के निर्देश पर रूबरू उक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु आरोपी श्री बुधराम कानिस्टेबल, पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/– रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये। नोटों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है –

क. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8WT 825798
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7KP 977956
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5MB 110596
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1UN 159030
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2SR 561885
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2KV 536378
7.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1TF 304472
8.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3KW 201249
9.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7GC 265538
10.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7TW 787810
11.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8KR 990780
12.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9QM 779522
13.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0FE 117165
14.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5LC 614826
15.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1PD 313258
16.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4TW 267353
17.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6RP 281172
18.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AW 816261
19.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5WA 510479
20.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7DB 282264
21.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4AD 955149
22.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3BN 936010
23.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4MR 903802
24.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1NH 665158
25.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3NL 959483
26.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8EP 941688
27.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9SQ 497689
28.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9NC 841480
29.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4BB 632734
30.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8FQ 859687
31.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2EB 660825
32.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2FE 642399
33.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8BR 608808
34.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3WQ 229145
35.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5MP 480566
36.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3NB 031538
37.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6QA 476558
38.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2GK 511053
39.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2KT 297933

40.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AH 663058
41.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7BE 801398
42.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7FR 652459
43.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6BE 219347
44.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7DP 048161
45.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AH 663055
46.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0DM 930197
47.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0DM 930196
48.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0DM 930195
49.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0DM 930194
50.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1UT 745224
51.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1UT 745223
52.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AD 520623
53.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4DV 600849
54.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1PR 682137
55.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6HP 119881
56.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4DB 429903
57.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3RQ 165677
58.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0PL 518871
59.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6HH 430485
60.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3BR 060361

श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कनिष्ठ सहायक से सभी नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अक्षय की जामा तलाशी गवाह श्री दिलीप तेजी से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 30,000/– रूपये परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई तथा ट्रेप के निर्धारित ईशारे सिर पर दोनों हाथ फेरना व मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर कॉल या मिसकॉल करने के संबंध में बताया गया। तत्पश्चात परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउडर की आपसी रसायनिक प्रतिकिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री इमरान खान कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में ही रूकने की हिदायत कर कार्यालय में छोड़ा गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ट्रेप बॉक्स सहित, परिवादी श्री अक्षय चौधरी, दोनों स्वतंत्र गवाह ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री नरेन्द्र, राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक, अनिल कुमार, मनोहरलाल, हरिराम, भगवानदास, रतन सिंह कानिस्टेबलगण को साथ लेकर निजी कार एवं निजी मोटरसाईकिल से ब्यूरो चौकी से पुलिस थाना नयाशहर के लिए रवाना हुआ। परिवादी श्री अक्षय ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि रिश्वत लेन–देन थाने के अंदर होने के कारण सिर पर दोनों हाथ फेरकर ईशारा करना या मिस कॉल करना संभव नहीं होने पर मैं आपको मेरे वाटसएप नंबर से "OK" मैसेज करके रिश्वत लेन–देन का ईशारा भेजूंगा, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने सहमति दी। फिर मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल को डीवीआर मय पूर्व से स्थापित मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर निर्देशित किया कि आप कुछ समय पश्चात परिवादी को डिवाईस ऑन करके सुपुर्द कर पुलिस थाना के लिए रवाना करें तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी रवानाशुदा पुलिस थाना नयाशहर के पास पहुंचकर गोपनीय रूप से परिवादी के ईशारा के इंतजार में मुकीम हुए।

वक्त 02:01 पीएम पर परिवादी श्री अक्षय पुत्र श्री ओमप्रकाश चौधरी, जाति जाट, उम्र 23 वर्ष, निवासी शीतला गेट के बाहर, सती माता के मंदिर के पास, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर द्वारा रिश्वत राशि लेनदेन होने पर ट्रेप का पूर्व निर्धारित ईशारा अपने व्हाट्सऐप नंबर 6377646451 से मन् पुलिस निरीक्षक के व्हाट्सऐप मोबाईल नंबर 9785180848 पर "Ok" भेजकर करने पर मन्

पुलिस निरीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री दिलीप तेजी, श्री सुभाष चन्द्र तेजी एवं ब्यूरो स्टाफ सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, श्री राजवीर सिंह हैडकानि., श्री रतन सिंह, श्री मनोहरलाल, श्री भगवानदास, श्री अनिल कुमार, श्री हरिराम कानिस्टेबलगण के पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर के परिसर में परिवादी श्री अक्षय के द्वारा पूर्व में बताए अनुसार आरोपी रीडर श्री बुधराम कानिस्टेबल के कक्ष में पहुंचे, परिवादी श्री अक्षय व एक युवक सादा वस्त्रों में कक्ष के अंदर गेट के पास उपस्थित मिले। परिवादी श्री अक्षय ने ईशारा कर मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री बुधराम कानिस्टेबल ने मेरे से 30,000/–रूपये रिश्वत के लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखे हैं। परिवादी श्री अक्षय चौधरी से डीवीआर प्राप्त कर ऑफ किया गया एवं स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना, गवाहान व हमराहियान का पूर्ण परिचय देकर उक्त युवक से परिचय प्राप्त किया तो युवक ने अपना नाम बुधराम पुत्र श्री धनराज, जाति बिश्नोई, उम्र 33 वर्ष, निवासी गौडू, तहसील बज्जू, पुलिस थाना बज्जू, जिला बीकानेर हाल कानिस्टेबल नंबर 1113, पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर होना बताया। मौके पर उपस्थित परिवादी श्री अक्षय निवासी शीतला गेट के बाहर, बीकानेर से रिश्वत राशि किस बाबत ली गई के संबंध में पूछने पर श्री बुधराम कानिस्टेबल नीचे देखने लगा तथा कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है। परिवादी अक्षय से ली गई राशि के संबंध में पूछने पर बताया कि साहब मैंने अभी अक्षय से 30000/–रूपये लिये हैं, जो मेरे पहनी पेंट की सामने की बांयी जेब में हैं। मैं अक्षय को जानता हूं यह पुलिस थाना कोटगेट के मुकदमा नंबर 305/2022 में अभियुक्त है, जो जमानत पर आजाद है। मौके पर मौजूद परिवादी अक्षय ने स्वतः ही बताया कि साहब ये बुधराम कानिस्टेबल पुलिस थाना नयाशहर में अनुसंधानाधीन प्रकरण में गिरफ्तार श्री प्रदीप बिश्नोई पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी हरियाणा को पुलिस हिरासत में मारपीट नहीं करने, रिमाण्ड नहीं लेने व प्रदीप के भाई रविन्द्र को उक्त प्रकरण में नहीं फंसाने की एवज में 50 हजार रूपये मांग रहा था, जिसके कम में कल शाम को मैं जब बुधराम जी से पुलिस थाना नयाशहर में मिला तो रीडर बुधराम जी कानिस्टेबल ने मेरे से 5000/–रूपये रिश्वत के मांग सत्यापन के समय लिये थे तथा 45 हजार रूपये प्रापत करने के लिए आज सुबह के लिए सहमत हुआ था तथा मुझे आज सुबह भी बार बार व्हाट्सऐप कॉल किए थे। जिसके कम में मेरे से 30 हजार रूपये की व्यवस्था हुई, जो श्री बुधराम कानिस्टेबल ने मेरे से अभी अभी प्राप्त किये हैं। पुनः श्री अक्षय से पैसे लेने के संबंध में पूछने पर श्री बुधराम कानिस्टेबल ने बताया कि साहब थाने में एनडीपीएस के मुकदमें में श्री प्रदीप बिश्नोई बंद है, प्रदीप इसके रूपये मांगता है, जो प्रदीप ने किसी को दिलवाने के लिए मुझे दिलवाये हैं। मौके पर मौजूद परिवादी श्री अक्षय ने श्री बुधराम के बताये गये तथ्यों को नकारते हुए बताया कि साहब ये रूपये बुधराम ने प्रदीप का रिमाण्ड नहीं लेने व प्रदीप के भाई रविन्द्र को मुकदमें में नहीं फसाने की एवज में रिश्वत के रूपये लिये हैं। मौके पर रिश्वत राशि लेने की पुष्टि होने पर श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल बनाया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री बुधराम कानिस्टेबल नंबर 1113 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आर–1 व आर–2 अंकित किये गये। तत्पश्चात दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री बुधराम कानिस्टेबल के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोवन का रंग का हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सिलचिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित किये गये। श्री बुधराम कानिस्टेबल को रिश्वत राशि पेश करने के निर्देश देने पर श्री बुधराम ने अपने पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब से 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई पेश की, जो गवाह श्री सुभाष चन्द्र तेजी को दिलवाई जाकर गिनवाई गई तो गवाह श्री सुभाष चन्द्र ने नोटों को गिनकर 500–500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000/–रूपये होना बताया। फिर उक्त दोनों गवाह श्री दिलीप तेजी व श्री सुभाषचन्द्र तेजी से पूर्व से बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट से नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो नोटों के नंबर हूबहू पाये गये जिनका विवरण फर्द में अंकित किया गया तथा नोटों को एक कपड़े के साथ सीलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। आरोपी श्री बुधराम कानिस्टेबल के पहनने के लिए एक पेंट की व्यवस्था करवाकर आरोपी के पहनी हुई पेंट उतरवाई जाकर रिश्वत बरामदगी स्थल पेंट की सामने की बांयी जेब को उल्टवाकर रंगहीन घोल के गिलास में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित किये गये। उक्त पेंट आरोपी बरंग कीम कलर को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील किया गया। उपरोक्त माल वजह सबूत पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी रीडर श्री बुधराम कानिस्टेबल के कक्ष का अवलोकन किया गया तो प्रकरण संख्या 305/2022 धारा 8/22, 29 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना कोटगेट जिला बीकानेर की मूल अनुसंधान पत्रावली मय 15 दिवस जेसी रिमांड फार्म श्री प्रदीप पुत्र श्री कृष्ण कुमार, जाति बिश्नोई, उम्र 28 वर्ष, निवासी गांव सदलपुर ढाणी खैरमपुर रोड़ भादू भारत गैस एजेन्सी के पास पुलिस थाना मंडी आदमपुर, जिला हिसार हरियाणा मिले। प्रकरण की पत्रावली के अभियुक्त प्रदीप को न्यायालय

में पेश किया जाना थानाधिकारी द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अवगत करवाया गया। अतः थानाधिकारी श्री वेदपाल शिवराण पुलिस निरीक्षक के निवेदन पर मूल पत्रावली पेज संख्या 01 से 436 तक मय रिमाण्ड फार्म श्री वेदपाल शिवराण पुलिस निरीक्षक को सुरक्षित सुपुर्द की गई तथा श्री वेदपाल शिवराण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना नयाशहर बीकानेर को निर्देशित किया कि आरोपी प्रदीप को माननीय न्यायालय में पेश कर मूल पत्रावली की प्रमाणित प्रति ब्यूरो को सुपुर्द करें।

वक्त 03.50 पीएम पर प्रकरण संख्या 305/2022 पुलिस थाना कोटगेट के अभियुक्त श्री प्रदीप जो पुलिस थाना नयाशहर की हवालात में बंद है। उक्त अभियुक्त को थानाधिकारी नयाशहर के माध्यम से निकलवाया जाकर ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी बुधराम कानिस्टेबल द्वारा मांगी गई 50 हजार रूपये की रिश्वत राशि व रविन्द्र के कहने पर परिवादी अक्षय चौधरी के द्वारा ब्यूरो में दिये गये प्रार्थना पत्र की जांनकारी दी गई, तो श्री प्रदीप ने बताया कि मैं मेरे भाई रविन्द्र व अक्षय चौधरी की ओर से करवाई गई ट्रेप कार्यवाही से सहमत हूं तथा मैं इसके लिए अपनी ओर से भी एक प्रार्थना पत्र देना चाहता हूं, जिस पर थानाधिकारी को इस संबंध में अवगत करवाया जाकर प्रदीप की इच्छानुसार एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र से प्रदीप ने निवेदन किया कि "नयाशहर थाने में पुलिस कस्टडी में हूं, जांच नयाशहर थाने में चल रही है, थाने के रीडर बुधराम कानिस्टेबल ने जो रिश्वत मांगी है, वो मेरे से मेरे भाई रविन्द्र से तथा मेरे मित्र अक्षय चौधरी से मांगी जा रही थी, जिस पर मैंने बुधराम कानिस्टेबल के खिलाफ एसीबी की ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिए मेरे मित्र अक्षय चौधरी को कल दिनांक 08.01.2023 को कहा था। जिस पर ट्रेप कार्यवाही हुई है मैं इस कार्यवाही से सहमत हूं।" उक्त प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील, घटनास्थल का विस्तृत नक्शा मौका व हालात मौका तैयार किया गया व आरोपी श्री बुधराम कानिस्टेबल नंबर 1113 पुलिस थाना नयाशहर, बीकानेर को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण की जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्यों, परिवादी श्री अक्षय, गवाहान व गिरफ्तारशुदा आरोपी बुधराम सहित मय माल वजह सबूत निजी वाहनों से पुलिस थाना नयाशहर बीकानेर से वक्त 06.25 पी.एम. पर रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बीकानेर पहुंचा व समस्त माल वजह सबूत श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक को दुरस्त हालात में सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी अक्षय चौधरी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनैक्ट किया जाकर मनोहरलाल कानिस्टेबल की सहायता से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं दिनांक 08.01.2023 व 09.01.2023 की ऑडियो फाईल को सुना गया विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करना प्रारंभ किया गया तथा वक्त 09.00 पीएम पर श्री वेदपाल शिवराण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना नयाशहर बीकानेर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हुए तथा प्रकरण संख्या 305/2022 की अनुसंधान पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश की, जो जरिए फर्द जब्ती कब्जे में ली गई व थानाधिकारी श्री वेदपाल शिवराण ने बताया कि अनुसंधान पत्रावलियां अधिक होने के कारण मेरी कुछ पत्रावलियों का कार्य श्री बुधराम कानिस्टेबल 1113 द्वारा किया जाता था। प्रकरण संख्या 305/2022 की अनुसंधान पत्रावली में भी मेरी ओर से समस्त अनुसंधान कार्य श्री बुधराम कानिस्टेबल द्वारा ही किया जा रहा था। तत्पश्चात थानाधिकारी श्री वेदपाल शिवराण को रूखस्त किया गया। आरोपी बुधराम को पुलिस थाना सदर जिला बीकानेर में रात्री सुरक्षार्थ हवालात में जमा करवाया गया। मांग सत्यापन वार्ताएं दिनांक 08.01.2023 व 09.01.2023 की चार ऑडियो फाईलों की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई तथा वार्ता की 4 ऑडियो क्लिप के दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील मोहर किया जाकर अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डीवीआर में स्थापित मैमोरी कार्ड को वक्त लेन–देन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट हेतु डीवीआर में रहने दिया गया। पैन ड्राईव व डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखे।

दिनांक 10.01.2023 को वक्त 12.05 ए.एम. पर परिवादी श्री अक्षय व आरोपी बुधराम के मध्य वक्त लेन–देन हुई वार्ता के डीवीआर मय स्थापित मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर पर कनैक्ट किया जाकर श्री मनोहरलाल कानिस्टेबल की सहायता से वक्त लेन–देन वार्ता दिनांक 09.01.2023 की एक ऑडियो फाईल को परिवादी, गवाहान व श्री मनोहरलाल की उपस्थिति में सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। वार्ता की ऑडियो क्लिप के दो पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील मोहर किया जाकर अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डीवीआर में स्थापित मैमोरी कार्ड को निकालकर कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया। अब तक तैयार किये गये फर्द ट्रांसक्रिप्टों संबंधित कुल दो सीलशुदा पैन ड्राईव, दो खुले पैन ड्राईव व कार्यवाही में प्रयुक्त एक सीलशुदा मूल मैमोरी कार्ड वजह सबूतों को श्री राजवीर सिंह मुख्य आरक्षक के जरिए जमा मालखाना करवाया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त की गई पीतल की सील नंबर 69 को तोड़कर नष्ट किया गया, जिसकी फर्द नष्टीकरण बनाई गई। तत्पश्चात परिवादी व गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 08.01.2023 को परिवादी श्री अक्षय चौधरी पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट, उम्र 23 वर्ष निवासी शीतला गेट के बाहर, सती माता मंदिर के पास, पुलिस थाना कोतवाली, बीकानेर द्वारा ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होकर आरोपी श्री बुधराम कानि. 1113, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र पेश किया व बताया कि आरोपी द्वारा परिवादी के पुलिस हिरासत में स्थित मित्र श्री प्रदीप के भाई रविंद्र निवासी हरियाणा का नाम मुकदमे में नहीं आने देने तथा पुलिस हिरासत स्थित श्री प्रदीप को टॉर्चर न करने आदि के लिए आरोपी श्री बुधराम कानि. द्वारा 50000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर दिनांक 08.01.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता परिवादी व आरोपी श्री बुधराम कानि. के मध्य करवाई गई, इस दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से 5000 रुपये रिश्वत राशि प्रापत की गई। तत्पश्चात् आरोपी श्री बुधराम कानि. द्वारा दिनांक 09.01.2023 को अपने व्हाट्सऐप नंबर 9413136631 से परिवादी के व्हाट्सऐप नंबर 6377646451 पर कॉल कर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिए कॉल किए गए जिसे ब्यूरो के डीवीआर में रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं तथा व्हाट्सऐप कॉल आदि के आधार पर आरोपी श्री बुधराम कानिस्टेबल द्वारा परिवादी श्री अक्षय से व आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौजूद प्रदीप से कुल 50000 हजार की रिश्वत मांग की जाकर 5000 रुपये रिश्वत राशि दिनांक 08.01.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन प्राप्त किया जाना पाया गया तथा समस्त वार्ताओं के अनुसार शेष 45000 रुपये रिश्वत राशि दिनांक 09.01.2023 को प्राप्त करने पर स्पष्ट रुप से सहमत हुआ तथा बार बार रिश्वत प्राप्ति के लिए परिवादी को व्हाट्सऐप कॉल की गई। इस पर परिवादी द्वारा 30000 रुपये की ही व्यवस्था कर पाने के कारण दिनांक 09.01.2023 को 30000 रुपये रिश्वत राशि में ट्रैप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी रीडर श्री बुधराम कानि. 1113, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर को पुलिस थाना नयाशहर में उसके कक्ष में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप किया गया, रिश्वती राशि आरोपी की पहनी पेंट की जेब से बरामद हुई व हाथों की अंगुलियों का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। वक्त लेनदेन आरोपी द्वारा रिश्वत राशि से असंतुष्ट होकर वार्ता में तय हुई श्री प्रदीप की कीमती चैन लाने की भी बात कहने के तथ्य पाए गए। संपूर्ण वार्ताओं व अब तक आए तथ्यों से आरोपी श्री बुधराम कानि. द्वारा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त श्री प्रदीप बिश्नोई के साथ पुलिस अभिरक्षा में मारपीट नहीं करने, रिमांड नहीं लेने व आरोपी के भाई रविंद्र बिश्नोई को एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में नहीं फंसाने की ऐवज में रिश्वत प्राप्त करने पर सहमत होना व मांग करना, वक्त सत्यापन परिवादी से 5000 रुपये रिश्वत प्राप्त करना तथा मांग के अनुक्रम में तयशुदा शेष 45000 रुपये में से 30000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी श्री बुधराम पुत्र धनराज, जाति बिश्नोई, उम्र 33 वर्ष निवासी गोडू, तहसील बज्जु, पुलिस थाना बज्जु, जिला बीकानेर हाल कानिस्टेबल नंबर 1113, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरी.
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री बुधराम, कानि. नम्बर 1113, पुलिस थाना नयाशहर, जिला बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 08/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.1.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 58-61 दिनांकः 10.1.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

10.1.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।